



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2019/पौष 18, 1940
No. 8]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2019/PAUSHA 18, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त एवं वाणिज्यिक/संशोधन पीएनजीआरबी विनियम.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (छ), (ट), (ड) और (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) विनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इनमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(क) विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

“3. शुल्क लगाना.— अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न निर्दिष्ट शुल्क लगाया जाएगा, नामतः :-

क्रमांक	अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्रियाकलाप	शुल्क (रुपये)
(1)	(2)	(3)
1.	अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पंजीकरण	10,00,000
2.	प्राधिकरण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति	1,00,000
3.	अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्राधिकरण हेतु आवेदन पत्र; (अथवा) यदि प्राधिकार देने के इस प्रकार के आवेदन पत्र में सम्मिलित न हो तो नगर गैस वितरण नेटवर्क की विशिष्टता पृथक रूप से; अथवा सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक पाइपलाइनों अथवा नगर गैस वितरण नेटवर्कों का विस्तारण--- <u>नगर गैस वितरण प्रस्ताव:</u> (क) नवीनतम जनगणना के अनुसार दस लाख अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र (ख) अन्य भौगोलिक क्षेत्र <u>पाइपलाइन प्रस्ताव:</u> स्पर लाइनें 500 किलोमीटर तक की ट्रंक लाइनें 500 किलोमीटर से अधिक की ट्रंक लाइनें	20,00,000 15,00,000 20,00,000 30,00,000 40,00,000
4.	सुरक्षा मानकसहित किसी भी विनियम अथवा मानक अथवा विनिर्देशन का निरूपण अथवा अद्यतीकरण अथवा संशोधन	20,000
5.	बोर्ड के आदेश की प्रमाणित प्रति	1,000
6.	अधिनियम की धारा 13 के खंड (छ) की उप-धारा 1 के अंतर्गत बोर्ड के आदेश में आशोधन अथवा उसकी समीक्षा	60,000
7.	अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु (प्रति पृष्ठ)	200
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर का निरीक्षण करना (प्रति निरीक्षण)	10,000
9.	(i) अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत के द्वारा शिकायत दर्ज करना (प्रति शिकायत)- (क) कंपनियां अथवा वाणिज्यिक ग्राहक (ख) अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट के अनुसार ग्राहक सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अंतर्गत स्थापित किए गए ग्राहक शिकायत निवारण फोरम में विचारणीय मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयंसेवी ग्राहक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठन (ii) अधिनियम की धारा 24 अथवा 25 के अंतर्गत विविध आवेदनों को प्रस्तुत करना (उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं)	2,00,000 2,000 30,000

10.	तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था को पैनलबद्ध करना - (क) प्रथम वर्ष (ख) परवर्ती वर्ष	1,00,000 50,000
-----	---	------------------------

”;

(ख) विनियम 4 हेतु निम्नलिखित विनियम और उसके साथ संलग्न प्रपत्र -- । प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

“4. अन्य प्रभार लगाना --- (1) किसी भी प्रकृति अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तारण अथवा पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का कार्य करने वाली कोई भी कंपनी इस प्रकार की पाइपलाइन अथवा नेटवर्क के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट के अनुसार बोर्ड को अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार वार्षिक रूप से देय अन्य प्रभारों का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से निम्न विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा, नामतः

(क) प्रत्येक नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क:

भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान किए गए अथवा स्वीकार किए गए वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए द्वितीय वित्तीय वर्ष से पंचम वित्तीय वर्ष तक	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान किए गए अथवा स्वीकार किए गए वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए षष्ठम वित्तीय वर्ष और उससे आगे
(1)	(2)	(3)
(i) 10 लाख से कम	रु.5,00,000	रु.5,00,000
(ii) 10 लाख अथवा अधिक परंतु 50 लाख से कम	रु.5,00,000	रु.10,00,000
(iii) 50 लाख अथवा अधिक परंतु 1 करोड़ से कम	रु.5,00,000	रु.25,00,000
(iv) 1 करोड़ अथवा अधिक	रु.5,00,000	रु.50,00,000

(ख) किसी भी प्रकृति की प्रत्येक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन हेतु

(क) प्रचालन प्रारंभण से पूर्व:	
(i) 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ	प्रत्येक पाइपलाइन हेतु रु.5,00,000
(ii) 50 किलोमीटर तक की लंबाई के साथ	प्रत्येक पाइपलाइन हेतु रु.1,00,000
(ख) प्रचालन प्रारंभण के पश्चात:	
(i) 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ	प्रत्येक पाइपलाइन हेतु रु.5,00,000 अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु उस पाइपलाइन के राजस्व का 0.02%

	(कर रहित), इनमें से जो भी अधिक हो
(ii) 50 किलोमीटर तक की लंबाई के साथ	प्रत्येक पाइपलाइन हेतु रु.1,00,000 अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु उस पाइपलाइन के राजस्व का 0.02% (कर रहित), इनमें से जो भी अधिक हो
टिप्पणी: गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोद्भूत राजस्व (कररहित) को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइनों के संबंध में उनके प्रचालन के प्रारंभण के पश्चात अन्य प्रभारों का पहले भुगतान किया जा सकता है।	

(3) इस विनियम के अंतर्गत देय अन्य प्रभारों का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर किया जाएगा जो आगामी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से आरंभ होकर इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि के प्रथम दो माह के अंदर किया जाएगा।

(4) इस विनियम के अंतर्गत देय अन्य प्रभारों को रु.100 के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(5) अन्य प्रभारों का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के पक्ष और नई दिल्ली में देय मांग ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश के माध्यम से अथवा बोर्ड के खाते में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

(6) नियत तिथि तक अन्य प्रभारों का भुगतान न किए जाने की स्थिति में बकाया राशि पर उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट के अनुसार विलंब के प्रत्येक माह अथवा उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत (1%) की दर से विलंबित भुगतान अधिभार देय होगा। 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाला इस प्रकार का अधिभार 31 मार्च, 2019 को पिछले बकाया अन्य प्रभारों पर भी देय होगा।

(7) इस विनियम के अनुसार अन्य प्रभारों अथवा विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी कोई भी कंपनी इस प्रकार के प्रेषण के विवरण उसके भुगतान के सात दिन के अंदर इस विनियम के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में प्रस्तुत करेगी।

(8) प्राप्य अन्य प्रभारों और प्राप्त हुए अन्य प्रभारों की प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले एक रजिस्टर में की जाएंगी जिसमें प्राप्य अन्य प्रभार, भुगतान प्रेषित करने वाली कंपनी का नाम, वित्तीय वर्ष जिसके लिए भुगतान किया गया है अथवा देय है, नगर गैस वितरण नेटवर्क अथवा पाइपलाइन का नाम, क्रमांक, मांग ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश अथवा इलैक्ट्रॉनिक भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में बैंक अथवा उसकी शाखा का नाम और दिनांक जैसे विवरण रखे जाएंगे।”

(9) किसी कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन विनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व विनियम 4 के उप विनियम (2) के अंतर्गत “निर्माण की अवधि” हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 तक ब्याजमुक्त जमाराशि के रूप में पहले से ही प्रेषित अन्य प्रभारों को बोर्ड द्वारा इस संशोधन विनियम, 2018 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत लागू होने वाले अन्य प्रभारों हेतु समायोजित किया जाएगा।

प्रपत्र - 1

[विनियम 4 (7) को देखें]

विनियम 4 (1) के अंतर्गत तालिका के भाग क के अनुसार वित्तीय वर्ष 20...-...हेतु देय और भुगतान किए गए अन्य प्रभारों के विवरण

कंपनी का नाम				
कंपनी का पता				
(क) नगर गैस वितरण नेटवर्कों के संबंध में भुगतान किए गए अथवा देय अन्य प्रभारों के विवरण				
नगर गैस वितरण नेटवर्कों के नाम (भौगोलिक क्षेत्र)	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान किए जाने अथवा उसकी	भुगतान किए गए अथवा देय अन्य	अभ्युक्तियां

	जनसंख्या	स्वीकृति के प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	प्रभार (रु.)	
1.				
2.				
3.				
...				
उप- योग – (क)				
(ख) पाइपलाइनों के संबंध में भुगतान किए गए अथवा देय अन्य प्रभारों के विवरण				
पाइपलाइनों के नाम (प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलियम उत्पाद)	गत वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व (कर रहित)	भुगतान किए गए/देय अन्य प्रभार	अभ्युक्तियां	
1.				
2.				
3.				
...				
उप-योग – (ख)				
योग – (क)+(ख)				
<p>प्रेषण के विवरण मांग ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश क्रमांक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का संदर्भ क्रमांक जारी करने अथवा भुगतान करने की तारीख बैंक और शाखा जिस पर देय है राशि (रुपये में)</p>				

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./484/18]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम दिनांक 26 नवंबर, 2007 की सा.का.नि. 732 (अ) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और दिनांक 7 जून, 2010 के सा.का.नि. 477 (अ) तथा फा.सं. विधिक/50/2013 दिनांक 21 जून, 2013 के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2019

F.No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations.—In exercise of the powers conferred by clauses (g), (k), (n) and (u) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and

Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely:--

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2018.

(2) These regulations, save as otherwise provided therein, shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:--

(a) for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

“3. **Levy of Fee.** --- (1) Every application under various provisions of the Act shall accompany fee as specified below, namely:-

S.No.	Activity under the provisions of the Act	Fee (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Registration under section 15 of the Act	10,00,000
2.	Expression of interest for authorization	1,00,000
3.	Application for authorization under sub-section (3) of section 17 of the Act; or Exclusivity of CGD network separately, if not covered under such application for authorization; or Expansion of common carrier or contract carrier pipelines or CGD networks.--- <u>CGD Proposal:</u> (a) Geographical Areas with a population of one million and above as per latest Census (b) Other Geographical Areas <u>Pipeline Proposal:</u> Spur lines Trunk lines upto 500 Kilometers Trunk lines more than 500 Kilometers	20,00,000 15,00,000 20,00,000 30,00,000 40,00,000
4.	Formulation or updating or amending any regulation or standard or specification including safety standard	20,000
5.	Certified copy of the order of the Board	1,000
6.	Modification or review of Board's order under clause (h) of sub-section (1) of section 13 of the Act	60,000
7.	Obtaining a certified copy of an entry in the register under sub-section (4) of section 14 of the Act (per page)	200

8.	Inspection of Petroleum and Natural Gas Register (per inspection)	10,000
9.	(i) Filing a complaint under sub-section (2) of section 25 of the Act (per complaint) by- (a) Entities or commercial customers (b) Voluntary consumer organization or non-Governmental organizations representing individuals other than on matters maintainable before a consumer Redressal Forum set up under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) as specified under sub-section (1) of section 25 of the Act. (ii) Filing of Miscellaneous Applications under section 24 or 25 of the Act (not covered above)	2,00,000 2,000 30,000
10.	Empanelment of Third Party Inspection Agency - (a) First Year (b) Subsequent years	1,00,000 50,000

(b) for regulation 4, the following regulation and Form – I attached therewith shall be substituted, namely:-

“4. Levy of other charges. --- (1) Any entity engaged in laying, building, operating or expanding natural gas pipeline or petroleum or petroleum product pipeline of any nature or city or local natural gas distribution network shall annually pay to the Board other charges in respect of each such pipeline or network for each financial year as specified in sub – regulation (2).

(2) Other charges payable annually in accordance with sub-regulation (1) shall be paid at the rates specified below with effect from the first April, 2019, namely:-

(A) For each City or local natural gas distribution network:-

Population of the Geographical Area as per 2011 Census of India	From the second financial year to the fifth financial year, starting from the financial year in which authorisation was granted or accepted by Board	From the sixth financial year, starting from the financial year in which authorisation was granted or accepted by Board, and onwards
(1)	(2)	(3)
(i) Less than 1 million	Rs. 5,00,000	Rs. 5,00,000
(ii) 1 million or more but less than 5 million	Rs. 5,00,000	Rs. 10,00,000
(iii) 5 million or more but less than 10 million	Rs. 5,00,000	Rs. 25,00,000
(iv) 10 million or more	Rs. 5,00,000	Rs. 50,00,000

(B) For each Natural gas pipeline or petroleum or petroleum product pipeline of any nature:-

(a) Before commencement of operations:	
(i) with a length of more than 50 kilometres	Rs. 5,00,000 for each pipeline
(ii) with a length of upto 50 kilometres	Rs. 1,00,000 for each pipeline
(b) After commencement of operations:	
(i) with a length of more than 50 kilometres	Rs. 5,00,000 for each pipeline or 0.02% of the revenue (excluding taxes) from that pipeline for the relevant financial year, whichever is higher
(ii) with a length of upto 50 kilometres	Rs. 1,00,000 for each pipeline or 0.02% of the revenue (excluding taxes) from that pipeline for the relevant financial year, whichever is higher
Note: Other Charges in respect of Pipelines after commencement of their operation may be initially paid considering the revenue accrued (excluding taxes) during the previous financial year. Difference of amount paid and payable shall be adjusted at the time of making payment for the next financial year.	

(3) Other Charges payable under this regulation shall be paid annually for each financial year that is to say a period of 12 months beginning on first April and ending on thirty-first March of the following year, within a period of two months from the beginning of the financial year.

(4) Other Charges payable under this regulation shall be rounded off to the nearest Rs.100.

(5) Other Charges shall be paid through demand draft or pay order in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and payable at New Delhi, or by any electronic mode into the account of the Board.

(6) In case of non-payment of Other Charges by the due date, late payment surcharge at the rate of one percent (1%) shall be payable on the outstanding amount for each month of delay or part thereof after the due dates of payment as specified in sub-regulation (3). Such surcharge shall also be payable beginning from 1st April, 2019 on the past dues of Other Charges as on 31st March 2019.

(7) Any entity liable to pay Other Charges or late payment surcharge in accordance with this regulation shall submit details of remittance in Form - I attached to this regulation, within seven days of making such payment.

(8) Other charges receivable and other charges received shall be entered into a register to be maintained by the Board with the details such as other charges receivable, name of the entity remitting the payment, financial year for which payment has been made or is payable, name of the CGD network or the name of the pipeline, serial number, date and name of the bank or its branch in respect of the demand draft or pay order or details of electronic payment, as the case may be.

(9) Other charges already remitted by an entity till the financial year 2018-19 for 'Construction Period' under sub - regulation (2) of regulation 4 before the commencement of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2018 as interest free deposit, shall be adjusted by the Board against the applicable Other Charges under sub-regulation (2).

Form – I
[See regulation 4(7)]

Details of other charges payable and paid as per part A of the Table under regulation 4(1) for the financial year 20.. -..

Name of the entity				
Address of the entity				
(a) Details of Other Charges paid or payable in respect of CGD Networks				
Name of the CGD Networks (GA)	Population as per 2011 Census of India	Financial year from the start of grant of authorisation or acceptance thereof by the Board	Other charges paid or payable (Rs.)	Remarks
1.				
2.				
3.				
...				
Sub-Total - (a)				
(b) Details of Other Charges paid or payable in respect of Pipelines				
Name of the Pipelines (Natural Gas and Petroleum or Petroleum Products)	Revenue (excluding taxes) accrued during the previous financial year	Other Charges paid or payable	Remarks	
1.				
2.				
3.				
...				
Sub-Total - (b)				
Total - (a)+(b)				
<u>Details of remittance</u>				
Demand Draft or Pay order No. /Ref No. of Electronic payment, Date of Issue or Payment, Bank and branch at which payable Amount (in Rupees)				

”.

VANDANA SHARMA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./484/18]

Foot Note: The principal regulations were notified vide No. G.S.R. 732(E), dated the 26th November 2007 and amended vide G.S.R. 477 (E), dated the 7th June 2010 and F.No. Legal/50/2013, dated the 21st June 2013.